10/04/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया निरस्त किया जाकर है विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया। पत्रावली नंबर से खारिज हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2014/00247

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 196/2014 GCMS:-2014/00247 दायर दिनांक : 13.10.2014

1. विजय पुत्र हेतराम (मृतक) :–

   1/1. सुमित्रा पत्नी स्व. विजय कुमार
   1/2. विक्रानत पुत्र स्व. विजय कुमार
   1/3. रविना पुत्री स्व. विजय कुमार
   } जाति जाट निवासी 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

2. संजय पुत्र हेतराम पुत्र सहीराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी ढ़ाबा झलार हाल निवासी चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

3. सुलतान पुत्र केसराराम (मृतक) :–

   3/1. सावित्री देवी पत्नी स्व. सुलतानराम जाति जाट निवासी चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

   3/2. गीतादेवी पुत्री स्व. सुलतानराम पत्नी रामुराम जाति जाट निवासी चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' हाल अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

   3/3. उर्मीला पुत्री स्व. सुलतानराम पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' हाल गणेशावाली तहसील पूगल जिला बीकानेर (राज.)

   3/4. रणवीरसिंह पुत्र स्व. सुलतानराम जाति जाट निवासी चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

   3/5. सुनीता पुत्री स्व. सुलतानराम पत्नी पुरनाराम जाति जाट निवासी चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' हाल निवासी पंडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

   3/6. मन्जु पुत्री स्व. सुलतानराम पत्नी सन्दीप जाति जाट निवासी चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' हाल निवासी मघेवाली ढ़ाणी चक 1 एम.एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

   3/7. कृष्णा पुत्री स्व. सुलतानराम पत्नी फुसाराम जाति जाट निवासी चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' हाल निवासी धान्धुसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

4. रामप्रताप पुत्र भ[illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' तहसील सूरतगढ़ [illegible]ानगर (राज.)

5. बलराम पुत्र भा[illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:22 IST
Reason: SelfAttested

–प्रार्थीगण

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बनाम

1. मानादेवी
2. चावलीदेवी
} पुत्रीयां अर्जनराम जाति जाट निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

3. भादरराम
4. लेखराम
5. कृष्णलाल
6. चुनीलाल
7. गुडी
} पुत्रगण व पुत्री लाधूराम जाति जाट निवासी संघर तहसील, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

8. जालूराम पुत्र फताराम जाति जाट निवासी चक 15 एस.जी.आर.
9. लिच्छीराम पुत्र फताराम जाति जाट (फौत) :–
   9/1. विमला देवी पत्नी लिच्छीराम
   9/2. कलावती पुत्री लिच्छीराम पत्नी सुभाष
   9/3. रामसिंह पुत्र लिच्छीराम
   9/4. दानाराम पुत्र लिच्छीराम
   } जाति जाट निवासी चक 15 एस.जी.आर. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

10. कानाराम
11. राजूराम
12. इन्द्रादेवी
13. भागवन्ती
} पुत्रगण व पुत्रीयां फताराम जाति जाट निवासी चक 15 एस.जी.आर. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

14. मनीराम पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी खाल तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान (मृतक) :–
   14/1. गुड्डी देवी पत्नी मनीराम
   14/2. महेन्द्र पुत्र मनीराम
   14/3. विनोद पुत्र मनीराम
   } जाति जाट निवासी खाल तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

15. रजीराम
16. दयालचन्द
17. दुर्जाराम
} पुत्रगण रामचन्द जाति जाट निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

18. गोमतीदेवी पुत्री रामचन्द पत्नी गणपत जाति जाट निवासी चक 38 एल. एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
19. पारीदेवी पुत्री रामचन्द पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी प्रेमनगर राजियासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
20. सोनादेवी पुत्री रामचन्द पत्नी [illegible] जाति जाट निवासी पोमावाली ढ़ाणी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:22 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

21. मामराज पुत्र रामचन्द (फौत) :–

21 / 1. सावित्री बेवा मामराज

21 / 2. रणजीत
21 / 3. राजेन्द्र
21 / 4. मु. हीरा
} पुत्र व पुत्री मामराज

} जाति जाट निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

22. सदोदेवी बेवा श्योकरण जाति जाट निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

23. लच्छीराम
24. भूराराम
25. बृजलाल
26. जयमल
27. पृथ्वीराज
28. सेवाराम
29. गिरधारी

} पिसरान श्योकरण जाति जाट निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

30. कालूराम पुत्र श्योकरण (फौत) :–

30 / 1. मु. गुडी बेवा क़ालूराम

30 / 2. सुन्दर
30 / 3. संजय
30 / 4. मु. मैना
} पुत्र व पुत्री कालूराम

} जाति जाट निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

31. उदा पुत्र कुम्भा (फौत) :–

31 / 1. भागीरथ पुत्र उदा (फौत) :–

31 / 1 / 1. हंसराज पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी रोझा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज.)

31 / 1 / 2. साहबराम पुत्र भागीरथ (फौत) :–

31 / 1 / 2 / 1. प्रेम
31 / 1 / 2 / 2. सावित्री
} पुत्र व पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी थोरियावाली लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज.)

31 / 1 / 3. बिरमानी पुत्री भाग़ीरथ पत्नी किशनलाल जाति जाट निवासी खिंयेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज.)

31 / 2. जयनारायण पुत्र उदा जाति जाट निवासी बिछवाल तहसील व जिला बीकानेर (राज.)

31 / 3. राजाराम पुत्र उदा जाति जाट निवासी बिछवाल तहसील व जिला बीकानेर (राज.)

31 / 4. लालचन्द पुत्र उदा (फौत) :–

31 / 4 / 1. [illegible]
31 / 4 / 2. श्रवण पुत्र लालचन्द
31 / 4 / 3. गुड्डी बेवा लालचन्द
} जाति जाट निवासी बिछवाल तहसील व जिला बीकानेर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Lal Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:22 IST
Reason: SelfAttested

31 / 5. श्रीकृष्ण पुत्र उदा जाति जाट निवासी बिछवाल तहसील व जिला बीकानेर (राज.)

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

31/6. शंकरलाल पुत्र उदा जाति जाट निवासी प्रेमनगर राजियासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

31/7. ओमप्रकाश पुत्र उदा जाति जाट निवासी नानुवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

32. भारू पुत्र कुम्भा (फौत) :–

32/1. परमेश्वरी बेवा भारू
32/2. फूसाराम
32/3. गुडी
32/4. भादरराम } पिसरान भारू } जाति जाट निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

33. भोपाल पुत्र कुम्भा (फौत) :–

33/1. लिछमा बेवा भोपाल
33/2. पप्पू पुत्र भोपाल
33/3. वीरपाल
33/4. मंजू } पुत्रीयां भोपाल } जाति जाट निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

34. हेतराम पुत्र कुम्भा (फ़ौत) :–

34/1. पारीदेवी बेवा हेतराम
34/2. जगदीश
34/3. पालाराम } पुत्रगण हेतराम } जाति जाट निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

35. बरीम पुत्र रावता (फौत) :–

35/1. नानू पुत्र बरीम जाति जाट निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (मृतक) :–

35/1/1. तेजाराम
35/1/2. रामप्रताप
35/1/3. श्योजीराम
35/1/4. हरीराम } पुत्रगण नानू पुत्र बरीम जाति जाट निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

35/1/5. केशर पुत्री नानू पत्नी गोपालराम जाति जाट भादू निवासी हरीयासर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज.)

36. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

37. उप–पंजीयक, सूरतगढ़

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक अप्रार्थीगण [illegible] से 3, 5 व 6
3. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक अप्रार्थीगण [illegible] 7, 14 से 18, 21/1 से 21/4, 22 से 25, 27 से 29, 30/[illegible] 30/4, 35/1/1 से 35/1/5
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:22 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 10.04.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने वाद–पत्र के साथ एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पिता हेतराम, प्रार्थी सं. 3 के पिता केसराराम, प्रार्थीगण सं. 4–5 के पिता भारूराम तथा अप्रार्थीगण सं. 1 से 13, अप्रार्थीगण सं. 14 से 21 के पिता रामचन्द पुत्र भोमाराम, अप्रार्थीगण सं. 22 से 30 के पति/पिता श्योकरण पुत्र कुम्भा, अप्रार्थीगण सं. 31/1 से 31/7 के पिता/दादा/पड़दादा उदा पुत्र कुम्भा, अप्रार्थीगण सं. 32/1 से 32/4 के पति/पिता भारू पुत्र कुम्भा, अप्रार्थीगण सं. 33/1 से 33/4 के पति/पिता भोपाल पुत्र कुम्भा, अप्रार्थीगण सं. 34/1 से 34/3 के पति/पिता हेतराम पुत्र कुम्भा, अप्रार्थीगण सं. 35/1/1 से 35/1/5 के दादा बरीम पुत्र रावता के नाम से वाके चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता सं. 2/2 के पत्थर नं. 15/298 (23) के किला नं. 1 से 9/2.277 है0, 10/1 में 0.051 है0, 15/1 में 0.101 है0 = 2.429 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही पूर्वज से सम्बन्धित परिवार के सदस्य हैं व उक्त भूमि मात्र 9.12 बीघा होने से सभी परिवारों का इस पर गुजर बसर कर पाना मुश्किल था, इसलिए पारिवारिक बन्दोबस्त के आधार पर जैरप्रकरण भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज रावताराम के कब्जा काश्त में रही और उनके स्वर्गवास उपरान्त आज से करीब 50 वर्षों से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजों ने संयुक्त रूप से अन्य चकों में भूमि खरीद कर ली जिन पर अप्रार्थीगण काश्त करने लग गए। जैरप्रकरण भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण ने विरासतन इन्तकाल भी अपने नाम से दर्ज करवा लिये। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा व ना ही वर्तमान में इनका कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का जैरप्रकरण भूमि पर 12 [illegible] अवधि से कब्जा काश्त होने से प्रतिकूल कब्जा (Adverse Possession) [illegible] परिभाषा में आता है और प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हो गये हैं तथा अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण में समाहित हो गये हैं। प्रार्थीगण ने जैरप्रकरण भूमि

क्रमशः ..... पेज 6 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

में अथक परिश्रम व धन राशि खर्च कर, भूमि को समतल कर काबिल काश्त बनाया है। अप्रार्थीगण के पास तो इस भूमि के बदले में संयुक्त रूप से खरीद की हुई भूमि है जो उनके नाम से दर्ज है। जैरप्रकरण भूमि तो प्रार्थीगण की है, मात्र रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है। वर्तमान में भूमि उपजाऊ हो जाने व भूमि की कीमतों में वृद्धि हो जाने से अप्रार्थीगण के मन में बदयान्ति आ गई और अपना नाम जैरप्रकरण भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का फायदा उठाकर जैरप्रकरण भूमि को हड़पना की कोशिश कर रहे हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से जैरप्रकरण भूमि से अपना नाम कलमजन क़रवाने के लिए निवेदन किया तो पहले तो वे तैयार हो गये, लेकिन बाद में इन्कार कर दिया और धमकी दी कि हमने तो विरासतन इन्तकाल दर्ज करवा लिया एवं अब तुमसे कब्जा छुड़वाकर जैरप्रकरण भूमि में अपने–अपने हिस्सा को रहन, बेचान द्वारा हस्तान्तरण करेंगे। इसी धमकी के कारण प्रार्थीगण ने जैरप्रकरण भूमि में अप्रार्थीगण व इनके पूर्वजों के नाम कलमजन किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वाद निर्णय से पूर्व यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा तथा वाद–पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा, इसलिए मूल वाद–पत्र के निर्णय तक जैरप्रकरण भूमि वाके चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता सं. 2/2 के पत्थर नं. 15/298 (23) के किला नं. 1 से 9/2.277 है0, 10/1 में 0.051 है0, 15/1 में 0.101 है0 = 2.429 है0 खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने तथा भूमि को रहन–बैय आदि द्वारा हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण को इकतरफा सुना जाकर प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए दिनांक 13.10.2014 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जैरप्रकरण भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने के पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण सं. 11, 5, 8 से 10, 12, 13, [illegible] 20, 31/1/1 से 31/7, 32 से 34, 14/1 से 14/3, के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

क्रमशः ..... पेज 7 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:22 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ। शेष अप्रार्थीगण की ओर जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ, इसलिए जवाब बन्द कर बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही पूर्वज से सम्बन्धित परिवार के सदस्य हैं। जैरप्रकरण भूमि प्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पिता हेतराम, प्रार्थी सं. 3 के पिता केसराराम, प्रार्थीगण सं. 4–5 के पिता भारूराम तथा अप्रार्थीगण के पति / पिता / दादा / पड़दादा से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। भूमि कम होने से इस पर सभी परिवारों का गुजारा होना मुश्किल था, इसलिए यह भूमि पारिवारिक बन्दोबस्त के आधार पर प्रार्थीगण के पूर्वज रावताराम को दे दी गई जो उनके जीवनकाल में उनके कब्जा काश्त में रही और उनके स्वर्गवास उपरान्त करीब 50 वर्षों से यह भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। पानी की पर्ची भी प्रार्थीगण के पूर्वज रावताराम के नाम से बनी हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजों ने संयुक्त रूप से अन्य चकों में भूमि खरीद कर ली जिन पर अप्रार्थीगण काश्त करने लग गए। राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण ने विरासतन इन्तकाल भी अपने नाम से दर्ज करवा लिये, जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा व ना ही वर्तमान में इनका कब्जा काश्त है। जैरप्रकरण भूमि पर प्रार्थीगण के 12 वर्षों से अधिक अवधि से कब्जा काश्त में होने से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हो गये हैं तथा अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण में समाहित हो गये हैं। पारिवारिक बन्दोबस्त के आधार पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से जैरप्रकरण भूमि में से अपना नाम कलमजन करवाने का निवेदन किया, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया और अपने–अपने हिस्सा की अंकित भूमि को बेचान कर, प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दी, इसलिए प्रार्थीगण ने जैरप्रकरण भूमि पर 12 वर्षों से अधिक अवधि से कब्जा काश्त होने से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर जैरप्रकरण भूमि में अप्रार्थीगण व इनके पूर्वजों के नाम कलमजन कर जैरप्रकरण भूमि का प्रार्थीगण को खातेदार कृषक घोषित किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वाद के निर्णय में समय लगना स्वाभाविक है, इसलिए पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 13.10.2014 की मियाद वाद के निर्णय तक बढ़ाने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:22 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 8 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और अन्य अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्य कि जैरप्रकरण भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि जैरप्रकरण भूमि वाके चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 15/298 (23) के किला नं. 1 से 9/2.277 है0, 10/1 में 0.051 है0, 15/1 में 0.101 है0 = 2.429 है0 खातेदारी भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। संयुक्त खाता की भूमि में अंकित प्रत्येक सह–खातेदार अपने हिस्सा की भूमि तक प्रत्येक ईंच का हिस्सेदार, खातेदार व काबिज होता है। जैरप्रकरण भूमि में 0.607 है0 की अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर की अंकित हिस्सेदार, खातेदार व काबिज है, जो प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत की गई जमाबन्दी व नामान्तरकरण से सिद्ध होता है। अन्य अप्रार्थीगण, जिनके नाम भूमि अंकित है, उसके वे स्वयं व मृतकगण के वारिस हिस्सेदार, खातेदार व काबिज हैं। प्रार्थीगण का जैरप्रकरण भूमि पर 60–70 वर्षों से कब्जा काश्त नहीं रहा। वे केवल मात्र अपने नाम अंकित हिस्सा की भूमि के हिस्सेदार व खातेदार हैं। भूमि में कई सहखातेदार होने से उनमें से किसी एक के नाम से पानी की पर्ची जारी की जाती है, न कि अलग–अलग सहखातेदार के नाम से। संयुक्त खाता की भूमि में प्रतिकूल कब्जा लागू नहीं होता। प्रतिकूल कब्जा तब माना जाता है जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्षकार की इच्छा के विरुद्ध कब्जा किया जावे और दूसरा पक्ष इसका विरोध करे, जिसकी दिनांक को अंकित किया जाना व साबित किया जाना जरूरी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के एक ही पूर्वज होना व सभी पक्षकार आपस में संयुक्त परिवार के सदस्य होना बताया है और विधि अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में एक सदस्य का दूसरे सदस्य के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाता है तथा प्रतिकूल कब्जा के बिन्दु के निर्धारण का अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को ही है, ना कि माननीय राजस्व न्यायालय को। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण, जो कि अंकित हिस्सेदार व खातेदार है, के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण का बनता है। यदि अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया गया तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी और अप्रार्थीगण अपने वैधिक अधिकारों से वंचित हो जायेंगे,

क्रमशः ..... पेज 9 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

इसलिए पूर्व में एकतरफा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाकर, प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 2008 पेज सं. 350 (HC) Rawata & Anr. V/s Jagmal एवं आर.आर.डी. 2012 (1) पेज सं. 232 Jagdish Singh V/s Ram Karan 212 RTA प्रस्तुत किये गए।

बहस श्रवण के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया व प्रस्तुत न्याय निर्णयों का आदरपूर्वक पठन व मनन किया। जैरप्रार्थना–पत्र भूमि संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि है, जो स्वयं प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया साबित है। संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक हिस्सेदार अपने हिस्सा तक खाता की कुल भूमि में प्रत्येक ईंच का हिस्सेदार, खातेदार व काबिज होता है। प्रार्थीगण द्वारा जैर प्रार्थना–पत्र भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होने के कथनों को किसी भी दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय आर.आर.डी. 2008 पेज सं. 350 (HC) Rawata & Anr. V/s Jagmal में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार संयुक्त खाता की भूमि में किसी एक सहखातेदार का दूसरे सहखातेदार के हिस्सा की भूमि पर प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जा सकता एवं आर.आर.डी. 2012 (1) पेज सं. 232 Jagdish Singh V/s Ram Karan 212 RTA में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की सकती है। उक्त न्याय निर्णय इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण का बनना प्रतीत नहीं होता। वाद के निर्णय की प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है। न्यायालय की मंशा है कि किसी भी खातेदार को कोई नुकसान न हो। प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण का बनना और सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होता है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार पूर्व में एकतरफा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.10.2014 निरस्त की जाकर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तामील तकमील शामिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:22 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 10.04.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)